राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 52 | अप्रैल - जून 2015 | सीमित प्रसार के लिए

राजस्थान बजट 2015–16

उद्योग व्यापार पर जोर, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्र पीछे

सम्पादकीय

राजस्थान सरकार के वर्ष 2015–16 के बजट में, जैसा कि अपेक्षित था, काफी जोर उद्योग व्यापार के लिये सुविधाएं देने, करों की प्रकिया को आसान करने, आर्थिक आधारभूत ढांचे को बढ़ाने, तथा कौशल विकास पर रहा है। हालांकि बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने आर्थिक आधारभूत ढांचा के विकास के साथ–साथ मानव संसाधन सामाजिक ढांचागत विकास, जल संरक्षण को भी आवश्यक बताया।

परन्तु बजट भाषण में अधिकांश समय ई– गर्वनेंस, कर संग्रहण प्रक्रिया में सुधार, राज्य में निवेश बढ़ाने के उपायों, राज्य में सड़कों के विस्तार को दिया गया। पिछले बजट में जहां 20,000 किमी. सड़क निर्माण निजी – सार्वजनिक सहभागिता से करवाने की घोषणा की गई थी, वहीं इस बार आगामी वर्ष में 10,000 किमी. और सड़क बनाने और नवीनीकरण करने की घोषणा की गई है। वर्ष 2015–16 में पांच राज्य मार्गों का निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा भी की गई। अच्छी बात यह रही कि 4,000 किमी. ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण की घोषणा भी की गई है, साथ ही 50 करोड़ रूपये खान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये रखे गये हैं।

राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS 2014) पर निर्भरता जतायी गई है, जिसमें पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों तथा मुख्य क्षेत्रों (Thrust Sectors) की पहचान कर उनके प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं। इसके साथ ही करों की प्रक्रिया सरल करने को लेकर ई–गर्वेनेंस से सम्बन्धित कई घोषणाए की गई हैं।

जहां तक सामाजिक क्षेत्र का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में जहां कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जैसे सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने तथा जिला शिक्षा समिति का गठन जो जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देगा तथा जिला शिक्षा रिर्पोट भी जारी करेगा। इसके अलावा पिछले वर्ष घोषित 63 मॉडल स्कूलों को अब तीन वर्ष में पूरा किया जायेगा। साथ ही आगामी तीन वर्षों में 73 वर्तमान मॉडल स्कुलों के भवनों को सुदृढ़ किया जायेगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्य उच्च शिक्षा मास्टर प्लान बनाकर 8 वर्षों में लागू किया जायेगा तथा राज्य में एक विज्ञान एवं मानवीकी शोध संस्थान का गठन किया जायेगा।

पेयजल क्षेत्र में पिछले वर्ष कुल 52 अधूरी परियोजनाओं में से 12 को पूरी करने की घोषणा की गई थी। इस वर्ष सरकार ने 12 और अधूरी योजनाओं को पूरा करने की घोषणा की है। पेयजल के लिये कुछ और योजनाएं भी घोषित की गई हैं। लेकिन कृषि, ग्रामिण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों और महिलाओं, बच्चों, दलितों, आदिवासीयों तथा अल्पसंख्यकों के बजट में विशेष वृद्वि नहीं हुई है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का कुल आंवटन 5200 करोड़ रूपये हुआ है जो वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान के बराबर ही है। यह अत्यंत महत्वपुर्ण है क्योंकि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र जिस पर राज्य की आधी से अधिक आबादी निर्भर है, की वृद्विदर में गिरावट आई है तथा इस वर्ष भी यह मात्र 2.5 प्रतिशत रहा है।

राज्य की वित्तीय स्थिति : वर्तमान वर्ष में घाटे में बढ़ोतरी

जहाँ तक राज्य की वित्तीय स्थिति का सवाल है तो वर्ष 2014–15 में संशोधित अनुमान के अनुसार 4 हजार करोड़ का राजस्व घाटा होना अनुमानित है, जो मुख्यतः इस वर्ष केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा केन्द्रीय अनुदान में बजट अनुमान से कम आय रहने तथा राज्य के स्वंय के करों में भी कमी आने के कारण हुआ है।

इस कारण सरकार को वर्तमान वर्ष में बजट अनुमानों से 10 हजार करोड़ रूपये अधिक का कर्ज लेना पड़ा है। साथ ही वर्ष 2014–15 में राज्य में आयोजना तथा पूंजीगत खर्च में बजट अनुमानों की अपेक्षा कमी आई है। वहीं 2014–15 में राजस्व घाटे के साथ–साथ राजकोषिय घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद के 3.52 प्रतिशत से बढ़कर संशोधित अनुमान के अनुमान के अनुसार 4 प्रतिशत हो गया है।

केन्द्र सरकार से प्राप्त संसाधनों मे परिवर्तन

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन का असर भी इस बजट पर दिखा है। वर्ष 2015–16 में एक तरफ जहां केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में 9000 करोड़ रुपये की बढोतरी हुई है वहीं केन्द्र से प्राप्त अनुदानों में 3000 करोड़ रुपये की कमी आई है। बजट अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2015–16 में आयोजना व्यय पिछले वर्ष के बजट अनुमान के बराबर ही रहेगा जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा इसमें करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार पूंजीगत खर्च में इस वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में मात्र 1500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। जबकि राजस्व व्यय तथा गैर आयोजना व्यय में जरुर बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार इस वर्ष बजट में 500 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य तथा राजकोषिय घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.99 प्रतिशत होना अनुमानित है, परंतु वास्तविक स्थिति सरकार के कर संग्रहण के उपायों के लागू होने तथा सरकारी खर्चों के बजट के अनुरुप बने रहने पर निर्भर करेगी।

भारत सरकार से राजस्थान सरकार को प्राप्त कुल राशि (रू. करोड़)

मद	2014-15 प्रस्तावित	2014-15 संशोधित	2015-16 प्रस्तावित
केन्द्रीय करों मे हिस्सा	22755.55	19817.15	28924.84
अनुदान (राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता सहित)	27775.56	23595.82	19844.79
कर्ज	1890.66	1186.11	2458.99
कुल	**52421.77**	**44599.08**	**51228.62**

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

कुल मिलाकर इस बजट में आगामी वर्ष में जहां घाटे पर नियंत्रण रखने के साथ–साथ राज्य में उद्योग व्यापार के लिये अनुकुल माहौल बनाने पर जोर है वहीं कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान कम रहा है। कृषि क्षेत्र, जिस पर राज्य की आधी से अधिक से आबादी निर्भर है, की वृद्धि की दर इस वर्ष मात्र 2.5 प्रतिशत रही है। ऐसे में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा से राज्य में तीव्र आर्थिक विकास की संभावना कमजोर भी पड़ सकती है।

राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थिति

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 60 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंध गतिविधियों में संलग्न है। राज्य का उत्तर–पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है। इस भूभाग में वर्षा के अभाव के कारण निरंतर सुखा पड़ता है एवं फलस्वरुप राज्य की कृषि प्रभावित होने से बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इसके विपरीत राज्य का पूर्वी, उत्तरी–पुर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी भाग मैदानी है, जहां तुलात्मक रुप से अच्छी वर्षा होने के साथ कृषि पैदावार भी अच्छी होती है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान :

तालिका सं.–1

सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में कृषि तथा अन्य क्षेत्रों का योगदान (2004–05 की स्थिर कीमतों पर)

क्षेत्र / वर्ष	2011–12	2012–13 प्रारंभिक	2013–14 त्वरित	2014–15 अग्रिम
कृषि	21.26	19.93	20.00	19.43
औद्योगिक	32.81	32.54	31.39	30.58
सेवा	45.93	47.53	48.61	49.99

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, 2014–15

तालिका सं.–1 के अनुसार वर्ष 2014–15 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर 2004–05 की स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में कृषि क्षेत्र का योगदान 19.43 प्रतिशत रहने की संभावना है। विगत 4 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2004–05 की कीमतों पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 20 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है।

तालिका सं.–2

पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर

क्षेत्र / वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 प्रारंभिक	2013–14 त्वरित	2014–15 अग्रिम
कृषि	0.31	7.51	1.62	4.19	.2.69	36.45	.1.07	.0.26	5.15	2.75
औद्योगिक	8.57	17.69	2.62	7.09	10.68	4.22	19.79	5.55	1.08	3.00
सेवा	9.10	9.73	8.88	12.89	8.30	12.35	5.79	10.12	7.18	8.75
सकल घरेलू उत्पाद	6.68	11.67	5.14	9.09	6.70	14.41	8.34	6.41	4.79	5.75

स्रोतः आर्थिक समीक्षा, 2014–15

तालिका सं.–2 के अनुसार राज्य कुल वृद्धि दर एवं अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में कृषि की वृद्धि दर कम रहने के साथ–साथ काफी उतार–चढाव की स्थिति रही है। इसका प्रमुख कारण राज्य में कृषि का मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होना है। राज्य में लगभग हर वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में सुखे की स्थिति रही है। साथ ही अब कृषि को बैमौसम बरसात तथा ओले जैसे आपदा का सामाना भी करना पड़ता है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि राज्य में कृषि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्रभावित करती है।

राज्य में कृषि उत्पादन :

तालिका सं.– 3

राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं दर

मद/वर्ष	अनाज		तिलहन		गन्ना		कपास	
	उत्पादन	वृद्धि दर	उत्पादन	वृद्धि दर	उत्पादन	वृद्धि दर	उत्पादन	वृद्धि दर
2005-06	10823629		5934905		482634		149683	
2006-07	14928317	37.92	5166933	-12.93	628963	30.31	126956	-15.18
2007-08	16084435	7.74	4229346	-18.14	594056	-5.54	146576	15.45
2008-09	16693851	3.78	5200635	22.96	387814	-34.71	123424	-15.79
2009-10	12359839	-25.96	4436613	-14.69	344559	-11.15	153561	24.41
2010-11	23574113	90.73	6641503	49.69	369354	7.19	145690	-5.12
2011-12	21925164	-6.99	5765045	-13.19	451282	22.18	294229	101.95
2012-13	20060126	-8.50	6371170	10.51	424349	-5.96	259746	-11.71
2013-14 (F)	20688473	3.13	6033757	-5.29	362882	-14.48	21837	-91.59

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, 2013–14

तालिका सं.–3 से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों में राज्य के कृषि उत्पादन में बहुत उतार–चढ़ाव होता रहता है, जिसके प्रमुख कारणों में से एक राज्य में कृषि का मुख्यतः मानसून पर निर्भर होना है एवं वर्षा की कमी या इसमें उतार–चढ़ाव के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है।

शेष पृष्ठ 4 पर ...

राज्य में शिक्षा बजट

देश में 'निम्न' मानव सूचकांक वाले राज्यों में राजस्थान भी है। राजस्थान में शिक्षा का स्तर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में 'निम्न' है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। पिछले 10 वर्षों में राज्य की साक्षरता दर 6.65 प्रतिशत बढ़ी है, साक्षरता पुरुषों में 4.81 प्रतिशत एवं महिलाओं में यह 8. 81 प्रतिशत बढ़ी है। यदि लिंगानुसार साक्षरता दर देखी जाए तो 2011 में पुरुषों में 80.51 एवं महिलाओं में 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे निचले पायेदान पर है। इसके अलावा राज्य में प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट भी अधिक है, साथ ही बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय से वंचित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान ग्रामीण साक्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। प्रस्तुत आलेख में राज्य में शिक्षा हेतु बजट आवंटन एवं व्यय को दर्शाया गया है।

राजस्थान में शिक्षा बजट एवं व्यय :

तालिका 1– राज्य में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय (राशि करोड़ में)

मद	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2013–14 वास्तविक	प्रस्तावित		2014–15 संशोधित	2015–16 प्रस्तावित
						2014–15 अंतरिम	2014–15 परिवर्तित		
गैर आयोजना व्यय	8538.11 (83.41)	9195.77 (78.83)	10512.44 (80.42)	13165.18 (78.47)	12072.33 (78.54)	14531.45 (73.00)	14532.77 (63.54)	13703.41 (66.61)	14728.7 (61.82)
आयोजना व्यय	1581.34 (15.45)	2303.92 (19.75)	2373.77 (18.16)	3281.37 (19.56)	3065.938 (19.95)	5037.17 (25.30)	8340.62 (36.46)	6869.64 (33.39)	9095.87 (38.18)
केन्द्र प्रवर्तित योजना	116.75 (1.14)	164.29 (1.40)	186.48 (1.43)	330.67 (1.97)	232.7514 (1.51)	337.31 (1.69)	0	0	0
कुल व्यय	10236.21 (100)	11664.00 (100)	13072.7 (100)	16777.23 (100)	15371.02 (100)	19905.94 (100)	22873.39 (100)	20573.05 (100)	23824.57 (100)
वृद्धि	10.32	13.95	12.08	28.34	17.58	18.65	36.34	–	15
कुल व्यय का जी.एस. डी.पी. से प्रतिशत	3.03	2.89	2.82	2.78	2.97	3.47	3.99	3.58	3.48

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : 1. ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

2. शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2015–16 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। इस वर्ष करीब 23824 करोड़ रु. आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 15 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2014–15 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 22873 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कम करके करीब 20573 करोड़ रु. कर दिया गया है। उपरोक्त दोनो वर्षों में शिक्षा पर आवंटन में बढ़ोतरी की मुख्य वजह केन्द्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान से आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जाना है। इससे पहले दोनो सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि अब राज्य सरकार को जाती है।

विगत वर्षों में राज्य में अधिकांश राशि गैर आयोजना मद के अंतर्गत आवंटित एवं व्यय की गयी है जबकि आयोजना मद के अंतर्गत बहुत ही कम राशि व्यय की गयी। हालांकि वर्ष 2010–11 के बाद के वर्षों के बजट में आयोजना मदों के अन्तर्गत व्यय में बढ़ोतरी होती नजर आती है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय करीब 2 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 98 प्रतिशत राजस्व व्यय रहता है।

सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय :

तालिका 2– सामान्य शिक्षा– राजस्व व्यय (2204) (राशि करोड़ में)

मद	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2013–14 वास्तविक	प्रस्तावित		2014–15 संशोधित	2015–16 प्रस्तावित
						2014–15 अंतरिम	2014–15 अंतरिम		
प्राथमिक षिक्षा	5921.01 (59.06)	6812.51 (59.80)	7557.266 (59.36)	8951.30 (54.86)	8463.626 (56.4)	10942.61 (56.38)	12684.42* (56.69)	11749.59* (58.33)	13614.55* (58.39)
माध्यमिक षिक्षा	3361.78 (33.53)	3748.73 (32.90)	4106.665 (32.26)	6031.018 (36.96)	5265.208 (35.1)	7107.275 (36.62)	8258.81 (36.91)	7050.797 (35.01)	8246.16 (35.36)
उच्च षिक्षा	603.15 (6.02)	647.99 (5.68)	898.9328 (7.06)	1093.809 (6.7)	1065.955 (7.1)	1071.931 (5.52)	1065.11 (4.76)	1020.378 (5.07)	1076.50 (4.62)
प्रोढ़ षिक्षा	8.09 (0.08)	39.19 (0.34)	8.7227 (0.07)	34.7973 (0.21)	29.1594 (0.2)	53.1641 (0.27)	105.47 (0.47)	59.4343 (0.30)	87.46 (0.38)
भाषा विकास	95.18 (0.95)	103.01 (0.90)	116.6284 (0.92)	140.4907 (0.86)	141.3757 (0.9)	152.8344 (0.79)	176.95 (0.79)	194.1238 (0.96)	212.82 (0.91)
सामान्य	35.73 (0.36)	40.63 (0.35)	43.0274 (0.34)	65.3679 (0.40)	53.7523 (0.4)	81.6757 (0.42)	85.35 (0.38)	67.58 (0.34)	79.90 (0.34)
कुल सामान्य शिक्षा	10024.97 (100)	11392.09 (100)	12731.24 (100)	16316.77 (100)	15019.08 (100)	19409.49 (100)	22376.11 (100)	20141.91 (100)	23317.4 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : 1. ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है। 'इसमें सर्व शिक्षा अभियान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले बजट राशि को शामिल किया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में शिक्षा पर राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है। वहीं उच्च शिक्षा पर मात्र 5 से 7 प्रतिशत राशि ही व्यय की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार राज्य में उच्च शिक्षा पर बहुत कम ध्यान देने के साथ उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।

सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत व्यय :

तालिका 3– शिक्षा, खेल कुद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204) (राशि करोड़ में)

वर्ष	2009–10 वास्तविक	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2013–14 वास्तविक	प्रस्तावित		2014–15 संशोधित	2015–16 प्रस्तावित
							2014–15 अंतरिम	2014–15 अंतरिम		
राशि	66.55	54.53	78.29	120.23	130.28	63.36	143.73	143.93	76.19	116.90

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय करीब 2 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 98 प्रतिशत राजस्व व्यय रहता है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट में इसके प्रस्तावित बजट की तुलना बहुत कमी की गयी है एवं 2015–16 के प्रस्तावित बजट को भी गत वर्ष की तुलना में बहुत कम कर दिया है।

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट : सर्व शिक्षा अभियान, देश में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की प्राप्ति व शिक्षा में जेण्डर–गैप खत्म करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम (फ्लैगशिप प्रोग्राम) है। यह कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली बस्तियों एवं क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालय निर्माण, अतिरिक्त शिक्षकों नियुक्ति एवं पीने के पानी की व्यवस्था आदि सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2001–02 से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में सभी 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियांवयन को सुनिश्चित करना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का अनुपात भी कम कर दिया गया है। जैसा कि तालिका 4 में दर्शाया गया है कि जब वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान शुरु किया गया तो, उस समय केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 85 : 15 था, जिसको बाद के वर्षों में कम करके 75 : 25 कर दिया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान के बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके क्रमशः 62 व 65.5 प्रतिशत के करीब कर दिया गया। इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके मात्र करीब 26 प्रतिशत ही रखा है।

तालिका 4– राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ में)

मद/वर्ष	2010–11	2011–12 संशोधित	2012–13 संशोधित	2013–14 प्रस्तावित	2014–15 प्रस्तावित*	2014–15 संशोधित	2015–16 प्रस्तावित
केन्द्रीय अनुदान	2014.96 (65)	2181.05 (61.95)	2368.45 (65.54)	2388.28 (65.18)	2874.01 (66.20)	2858.91 (68.21)	1296.71 (26.00)
राज्यांश	1084.98 (35)	1339.66 (38.05)	1245.24 (34.46)	1275.73 (34.82)	1467.55 (33.80)	1332.64 (31.79)	3690.63 (74.00)
कुल योग	3099.94 (100)	3520.71 (100)	3613.69 (100)	3664.01 (100)	4341.56 (100)	4191.55 (100)	4987.34 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : *इस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान की बजट राशि को प्राथमिक शिक्षा के बजट में शामिल किया गया है।

गत वर्ष से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद का प्रदान की जाती थी। यह राशि अब राज्य सरकार को प्रदान की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट :

राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट **(राशि करोड़ में)**

मद	2014– 15 प्रस्तावित	2014–15 संशोधित	2015–16 अनुमानित
कुल	1155.54	551.57	1086.48
केन्द्रीयांश	685.07	301.18	814.86

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में गत वर्ष के प्रस्तावित बजट की तुलना में 70 करोड़ रु. की कमी की गयी है। साथ ही वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट में प्रस्तावित बजट की तुलना में आधे से अधिक की कमी की गयी है।

इसके अलावा चिंताजनक बात यह है कि इस वर्ष से केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु केन्द्रीय अनुदान प्रारुप में बदलाव किया है जिससे भविष्य में इन योजनाओं तथा शिक्षा के अधिकार के क्रियांवयन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मिल, छात्रवृत्ति (मैट्रिक पूर्व एवं पश्चात) आदि योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पहले की तरह अनुदान मिलता रहेगा।लेकिन माध्यमिक शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा मात्र पूंजीगत व्यय के लिये ही अनुदान मिलेगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य में सरकार का शिक्षा हेतु बजट बहुत ही कम है सरकार वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) का 3 प्रतिशत के करीब या इससे भी कम शिक्षा पर व्यय कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होना चाहिये। वहीं राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है। अतः राज्य सरकार को, शिक्षा के अधिकार कानून को क्रियांवित करने हेतु, अपने कुल व्यय में शिक्षा पर आवंटन एवं व्यय को बढ़ाकर इस अधिनियम के मापदंडों के अनुसार विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये।

राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के बजट सत्र (2015) में पारित प्रमुख विधेयक

- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015
- राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015
- राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015
- राजस्थान डायन –प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015
- आर. एन. बी. ग्लोबल विश्वविधालय, बीकानेर विधेयक, 2015
- राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015
- राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015
- राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015
- राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015
- राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015
- राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 2015
- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गो के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.1 एवं 12.5 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत बढकर क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में आवंटित करना चाहिये।

उपयोजनाओं के लागू होने के 30 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यह स्थिति केन्द्र एवं देश के सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 2–3 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में गत वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया है। इसी प्रकार राज्य की पूर्व सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया गया। लेकिन राज्य की नयी सरकार इस मसौदे को कानून रुप देने हेतु अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है।

प्रस्तुत नोट में राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति तथा इन उपयोजनाओं हेतु प्रस्तावित अधिनियम एवं संबंधित मुद्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(अ) राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत गत 6–7 वर्षों में हुए आवंटन एवं व्यय को आगे की तालिका में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का बजट :

राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति

(राशि करोड़ में)

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	जनजाति उपयोजना बजट
2007–08 वास्तविक	10987.37	253.38 (2.31)	423.76 (3.86)
2008–09 वास्तविक	12190.10	381.80 (3.13)	384.54 (3.15)
2009–10 वास्तविक	12568.73	342.19 (2.72)	367.30 (2.92)
2010–11 वास्तविक	14172.46	655.27 (4.58)	729.10 (5.14)
2011–12 संशोधित	22796.13	1786.50 (7.84)	1631.68 (7.16)
2011–12 वास्तविक	20569.50	1568.95 (7.63)	1312.34 (6.38)
2012–13 प्रस्तावित	23828.49	2284.13 (9.59)	1955.87 (8.21)
2012–13 संशोधित	29580.64	2398.21 (8.11)	2112.00 (7.14)
2012–13 वास्तविक	27159.27	2232.49 (8.22)	1826.59 (6.73)
2013–14 प्रस्तावित	31516.27	3091.27 (9.8)	2770.39 (8.8)
2013–14 संशोधित	35068.00	3431.61 (9.8)	2959.52 (8.44)
2013–14 वास्तविक	29109.65	2887.92 (9.92)	2650.45 (9.11)
2014–15 प्रस्तावित	57115.26	4814.65 (8.43)	4150.45 (7.27)
2014–15 संशोधित	51511.92	4860.17 (9.44)	4420.92 (8.58)
2015–16 प्रस्तावित	57322.77	5545.78 (9.67)	4626.75 (8.07)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

नोट : ( ) कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 5545.78 करोड़ रु. आवंटित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट का करीब 9.67 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसार जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 4226 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट का करीब 8.07 प्रतिशत है। विगत 7–8 वर्षों के आंकड़ो पर अगर गौर किया जाये तो वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक दोनों उपयोजनाओं के आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वर्ष 2014–15 के अंतरिम बजट में भी विगत वर्षों की तुलना में आवंटन बढ़ाया गया था लेकिन 2014–15 के लिये पेश किये गये पूर्ण बजट (परिवर्तित बजट) में दोनों उपयोजनाओं में आवंटित बजट के अनुपात में बहुत कमी की गयी है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पिछले 2 वर्षों में राज्य में उपयोजनाओं के आवंटन में पहले की तुलना में कमी हुई है। जिसके परिणामस्वरुप राज्य के दलित एवं आदिवासी करोड़ों रु. की विकास योजनाओं से वंचित होंगें। हालांकि राज्य की पूर्व सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना को कानूनी रुप देने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अभी तक राज्य में उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने हेतु तैयार किये गये मसौदे पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अतः सरकार को राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शीघ्र ही कानूनी रुप देने हेतु कदम उठाने चाहिये।

राज्य में अलपसंख्यक मामलात विभाग के बजट में मामूली बढ़ोतरी

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाता है और साथ ही राज्य में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को कारोबार ऋण, शिक्षा ऋण आदि आसान दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2015–16 के लिये पारित बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये कुल 116.87 करोड़ रूपये आवंटित हुए जो राज्य के कुल बजट का केवल 0.08 प्रतिशत ही है जो कि जोकि नगण्य है एवं गत वर्ष के बजट अनुमान (0.08 प्रतिशत) के सामान है। सारिणी 1 में पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में अनुपात दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है कि किसी भी वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग को आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत भी नहीं है।

सारिणी 1: पिछले तीन वर्षों में राज्य बजट में अल्पसंख्यकों को आवंटन (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल बजट	अल्पसंख्यक	प्रतिशत
2013–14 प्रस्तावित	94871.95	150.95	0.15
2013–14 संशोधित	100348.92	107.8	0.10
2013–14 वास्तविक	94101.07	86.31	0.09
2014–15 प्रस्तावित	131426.89	115.5	0.08
2014–15 संशोधित	126111.62	101.08	0.08
2015–16 प्रस्तावित	137713.38	116.87	0.08

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि राज्य बजट के मुख्य शीर्ष 2225 तथा 4225 के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 04 के साथ मुख्य शीर्ष 2202, 2250 एवं 6225 से आवंटित की जाती है जिसका विवरण सारिणी 2 में दिया गया है।

सारिणी 2: अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि का विश्लेषण (राशि करोड़ में)

वर्ष/लेखा शीर्ष	2202	2225	2250	4225	6225	
	सामान्य शिक्षा – मदरसा स्कूल/ बोर्ड	अनुसुचित जातियों अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय	अन्य सामाजिक सेवाएं – वक्फ ट्रिब्यूनल	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यों के कल्याण के लिये कर्ज	अल्पसंख्यकों का कल्याण का योग
2013–14 प्रस्तावित	70.43	74.67	0.6	2.75	2.5	150.95
2013–14 संशोधित	38.76	64.01	0.4	2.15	2.5	107.82
2013–14 वास्तविक	32.81	51.12	0.36	1.99		86.28
2014–15 प्रस्तावित	63.77	46.35	0.4	2.5	2.5	115.52
2014–15 संशोधित	52.89	23.02	13.94	8.56	2.65	101.06
2015–16 प्रस्तावित	65.76	16.41	15.22	16.48	3	116.87

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में पिछले वर्ष के प्रस्तावित बजट की तुलना में सिर्फ 1.35 करोड़ रु. की ही बढ़ोतरी हुयी है जो कि बेहद कम है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मदरसा स्कूल बोर्ड के लिये आवंटित बजट में की गयी है परंतु मुख्य शीर्ष 2225– अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय में 6.61 करोड़ रु. की कमी की गयी है जो कि निंदा योग्य है क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक मामलात विभाग को कल्याणकारी योजनाओं के लिये बजट आवंटन किया जाता है। 2225 में आवंटित बजट में आयोजना भिन्न व्यय की तुलना में आयोजना व्यय काफी कम है जिससे यह मालूम होता है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि में प्रशासनिक खर्चों का अनुपात कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित बजट में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि 115.52 करोड़ रु. थी जिसको संशोधित अनुमान में घटा कर 101.06 करोड़ रु. कर दिया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में भी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के बजट को देखने से ज्ञात होता है कि 2013–14 के वास्तविक व्यय (86.28 करोड़ रु.) में इस वर्ष के प्रस्तावित बजट (150.95 करोड़ रु.) की तुलना में भारी कमी आयी है जिससे यह पता चलता है कि अल्पसंख्यकों के कल्याान के लिये आवंटित राशि को ठीक से खर्च नहीं किया गया है। अतः हम यह आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि में बढ़ोतरी की जाये ताकी सभी योजनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाया जा सके।

राज्य में पेंशन योजनाओं हेतु बजट

राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धजनों, महिलाओं ,बच्चों एवं निःशक्तजनों के कल्याण के लिये कई कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इनमें पेंशन योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंशन योजनाओं की राशि राज्य बजट में मुख्य शीर्ष '2235–सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के अंतर्गत आवंटित की जाती है तथा इन योजनाओं का कियान्वयन 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के लिये पारित हुये राज्य बजट में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 4025.73 करोड़ की राशि आवंटित की है। यह राशि गत वर्ष के बजट अनुमान में आंवटित राशि से 672.14 करोड़ रू. ज्यादा है। यह बढ़ोतरी सभी वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के लिए पेंशन योजनाओं में हुई है। इस वर्ष पेंशन योजनाओं के लिये आंवटित राशि में वृद्धावस्था पेंशन के लिये 3266.2 करोड़ रू., विधवा पेंशन के लिये 499.68 करोड़ रू. तथा निशक्त पेंशन हेतु 259.85 करोड़ रू. की राशि व्यय हेतु रखी गई है।

2014–15 के संशोधित अनुमान में भी तीनों वर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की गयी है। 2014–15 के प्रस्तावित बजट में वृद्धावस्था पेंशन के आंवटित राशि 2690.75 करोड़ रू. रखी गई थी जिसको संशोधित बजट में बढ़ा कर 3104.55 करोड़ रू. कर दिया गया है। इसी तरह विधवा पेंशन के लिय 2014–15 के बजट अनुमान में आंवटित राशि 451.48 करोड़ रू. को बढ़ा कर 466 करोड़ रू. तथा निशक्त पेंशन के लिये अनुमानित राशि 211.36 करोड़ रू. से बढ़ा कर 224.18 करोड़ रू. कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में पेंशन योजनाओं में आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

पेंशन योजनाओं हेतु बजट

(राशि करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2013–14 प्रस्तावित	2013–14 संशोधित	2013–14 वास्तविक	2014–15 प्रस्तावित	2014–2015 संशोधित	2015–16 प्रस्तावित
2235–196–(01)						
[01] वृद्धावस्था पेंशन	400	1980	1970.68	2400	2850	3000
[05] इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन	130.87	148.86	151.40	160.04	155.15	160
[08] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	44.63	39.99	39.26	54.54	40.61	43.7
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	51.21	51.5	59.67	76.17	58.78	62.5
वृद्धावस्था पेंशन का योगः	**626.71**	**2220.4**	**2221.02**	**2690.75**	**3104.55**	**3266.2**
[03] विधवा पेंशन	220	380	358.39	400	420	450
[06] इंदिरा गांधी विधवा पेंशन	38.26	25.86	26.05	28.78	26.64	28.5
[09] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	11.72	9.16	8.85	10.74	9.96	10.88
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	13.12	7.94	7.65	11.96	9.38	10.3
विधवा पेंशन का योग	**273.1**	**422.96**	**400.94**	**451.48**	**466.00**	**499.68**
[02] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	90	180	171.25	200	215	250
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	9	5.78	5.73	6.23	5.39	5.75
[10] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	2	1.4	1.51	2.63	1.87	2.05
[13] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	2	1.39	1.29	2.5	1.91	2.05
विशेष योग्यजन पेंशन का योगः	**103**	**188.57**	**179.80**	**211.36**	**224.18**	**259.85**
योग	**1012.81**	**2831.93**	**2801.77**	**3353.59**	**3794.73**	**4025.73**

स्रोतः बार्क द्वारा बजट 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 के विश्लेषण पर आधारित

वर्ष 2013–14 में श्री अशोक गहलोत ने पेंशन योजनाओं में विस्तार करने के लिये राज्य की वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पात्रता हेतु लाभार्थियों के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त को समाप्त करने की घोषणा की थी एवं 20 अप्रेल से 15 जून 2013 तक पेंशन शिविर लगाये गये जिसके बाद लाभार्थीयों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी तथा पेंशन योजनाओं पर खर्च की जा रही कुल राशि 2013–14 के संशोधित बजट में 2831.93 करोड़ रू हो गई जो कि प्रस्तावित बजट में सिर्फ 1012.81 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष दिये गये लेखे के अनुसार वर्ष 2013–14 में उक्त पेंशन योजनाओं पर कुल 2801.776 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई जो कि 2013–14 के संशोधित बजट से 30.15 करोड़ कम है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन पर 2221.02 करोड़, विधवा पेंशन के लिये 400.94 करोड़ तथा निशक्त पेंशन हेतु 179.8 करोड़ की राशि खर्च की गई।

जैसा की पहले बताया गया है, पेंशन योजनाओं में विस्तार के लिए किये गये प्रयासों के चलते लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वैबसाइट पर मौजूद लाभार्थियों की संख्या पर दस्तावेज़ से ज्ञात होता है कि कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या 31 मार्च 2013 को 14.40 लाख से बढकर 15 जून 2013 को 40.43 लाख हो गयी, 2014 में यह संख्या बढ़कर 58.3 लाख हो गयी है तथा वर्तमान में यह संख्या 57.8 लाख है।

उक्त पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या (लाख में) :

वर्ष	वृद्धावस्था पेन्शन	विधवा पेन्शन	निःशक्त पेन्शन	कुल
31 मार्च 2013	8.71	4.04	1.64	14.40
15 जून 2013	–	–	–	40.43
31 मार्च 2014	45.91	7.66	3.57	57.15
15 जुलाई 2014	46.9	7.8	3.6	58.3
19 मार्च 2015	46.6	7.6	3.6	57.8

स्रोतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान (http://rajssp.raj.nic.in)

उपरोक्त पेंशन योजनाओं के बजट में हांलाकि सरकार ने वृद्वि की है लेकिन विगत 2 वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में काफी बढोतरी हुई है। अतः लाभार्थियों की बढती संख्या को देखते हुये फिर भी पेंशन योजनाओं का बजट कम है एवं इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से खर्च की जा रही राशि समाज के एक कमजोर तबके के लिये अत्यंत आवश्यक है। इसलिये हमें आशा है कि सरकार आगामी वर्षों मे इन पेंशन योजनाओं को और मजबूती से लागू करने के प्रयास करेगी।

पृष्ठ 1 का शेष ... राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थिति –

राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई पर सरकारी व्यय एवं बजट :

तालिका सं.– 4अ

राज्य में कृषि बजट (राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	
	कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र का बजट एवं व्यय	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट एवं व्यय	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत
1999–2000	614.91	2.74	1177.01	5.25
2000–01	558.66	2.31	1099.37	4.55
2001–02	545.13	2.07	1157.89	4.40
2002–03	518.97	1.63	1130.47	3.54
2003–04	604.03	1.69	1715.28	4.81
2004–05	783.10	2.55	1688.89	5.50
2005–06	964.11	3.54	1919.28	7.05
2006–07	985.26	3.09	1750.02	5.49
2007–08	1031.06	2.73	1929.44	5.10
2008–09	1411.3	3.27	2011.15	4.66
2009–10	1723.20	3.53	2034.13	4.17
2010–11	2966.62	5.52	2027.21	3.77
2011–12 संशोधित	3058.04	4.46	2286.27	3.34
2012–13 प्रस्तावित	3415.98	4.46	2678.75	3.49

स्रोत : बजट पुस्तीका, वित विभाग, राजस्थान सरकार

तालिका सं.– 4ब

राज्य में कृषि बजट (राशि करोड़ रुपये में)

मद/वर्ष		2013-14	2014-15(प्रस्तावित)	2014-15(संशोधित)	2015-16(प्रस्तावित)
कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र	राजस्व	**3522.41**	**4694.26**	**4652.32**	**4800.6**
	पूंजीगत	**384.24**	**774.89**	**608.36**	**431.93**
	कुल	3906	5469	5260	5232
राज्य के कुल व्यय प्रतिशत		4.16	4.15	4.17	3.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	राजस्व	**1672.20**	**1811.75**	**1781.43**	**1868.03**
	पूंजीगत	**1076.51**	**1567.90**	**1402.58**	**1598.51**
	कुल	2748	3379	3184	3466
राज्य के कुल व्यय प्रतिशत		2.57	2.92	2.52	2.52

स्रोत : बजट पुस्तीका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार विगत 5 वर्षों में राज्य सरकार अपने कुल व्यय का 4 से 5 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबंद्ध सेवाओं पर व्यय करती रही है, परन्तु इस वर्ष कृषि तथा संबंद्ध सेवाओं पर राज्य के कुल बजट का केवल 3.8 प्रतिशत आवंटित हुआ है। ऐसी स्थिती में जब कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षो से वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है राज्य सरकार ने कृषि के आवंटन को पिछले वर्ष के बराबर ही रखा है।

वार्षिक प्रतिवेदन 2013–14 के अनुसार वर्तमान में कृषि विभाग में 9975 स्वीकृत पदों में से 3529 पद रिक्त हैं। जिसमें सहायक निदेशक कृषि, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि अन्वेषक जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। ऐसे में राज्य में कृषि की बिगडती स्थिति, कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि दर तथा कृषि विभाग में खाली पदों को देखते हुए जहां कृषि के लिये बजट आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है वहीं इस वर्ष का कृषि हेतु बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा भी कम है।

उसी प्रकार सिंचाई के लिए कुल आवंटन में भी पिछले दो वर्षो में कमी आई है तथा सिंचाई का कुल बजट राज्य बजट के 3 प्रतिशत से कम होकर 2.5 प्रतिशत हो गया है।

संपादक – **नेसार अहमद**
संपादक मण्डल – **महेन्द्र सिंह राव**
– **भूपेन्द्र कौशिक**
– **बरखा माथुर**
सहयोग – **अंकुश वर्मा**
सलाहकार – **डॉ जिनी श्रीवास्तव**

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....